न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1836–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–01–2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा के प्रकरण कमांक 32/अपील/2012–13

....

1– जगदीश पिता कोदरजी
निवासी सोनखेड़ी तहसील
हरदा जिला हरदा मध्यप्रदेश
2– पदमसिंह पिता चैनसिंह देवड़ा
निवासी ग्राम सन्यास्या
तहसील एवं जिला हरदा

.... आवेदकगण

विरूद्ध

रूपेश पिता रामौतार
निवासी ग्राम सोनखेड़ी तहसील
व जिला हरदा म0प्र0

.... अनावेदक

....

श्री नितिन स्थापक अभिभाषक–आवेदकगण
श्री नारायण सिंह सोलंकी, अभिभाषक–अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 8/9/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय

अधिकारी हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–01–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार हरदा के समक्ष अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सोनखेड़ी स्थित भूमि रकवा 10 एकड़ का वह भूमिस्वामी है । आवेदक अपने भूमि पर आने–जाने के लिये उसकी भूमि के उत्तर दिशा में स्थित सन्यास्या इकडालिया तथा सोनखेड़ी तक आगे गया है उसके बाद मेड के उत्तर में आवेदक क्रमांक 2 एवं दक्षिण में आवेदक क्रमांक 1 जगदीश की भूमि स्थित है । उन दोनों की भूमियों को पश्चिम दिशा में एक पक्का डम्बर रोड सोनखेड़ी से सन्यास्या जाता है । उक्त रास्ते का उपयोग अनावेदक अनेक वर्षो से करता आ रहा है । आवेदकगण द्वारा उसे धमकी दी जा रही है कि वह उस रास्ते का उपयोग/उपभोग न करें, अतः आवेदकगण को आदेशित किया जाये कि वे प्रश्नाधीन रास्ते का उपयोग अनावेदक को करने दे। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/अ–13/2011–12 दर्ज कर दिनांक 22–3–13 को आदेश पारित कर अनावेदक का संहिता की धारा 131 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । उक्त आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई । अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया साथ ही संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपील के निराकरण तक अपनी भूमि पर जाने के लिये आवागमन की सुविधा दिलाये जाने का निवेदन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–1–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन एवं संहिता की धारा 32 का आवेदन स्वीकार किया जाकर विलम्ब क्षमा किया गया एवं अपील ग्राह्य की गई साथ ही अपील के निराकरण तक पूर्वानुसार रास्ते का उपयोग करने के निर्देश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 30–7–15 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण का अंतिम निराकरण निगरानी में उल्लेखित आधारों एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क के आधार पर किया जा रहा है ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है और न ही इस बात का उल्लेख किया गया है कि अनावेदक कौन सी बीमारी से ग्रसित था।

(2) तहसीलदार के आदेश की नकल दिनांक 1–5–13 को अनावेदक को प्राप्त हो गई थी, उसके बावजूद भी अपील प्रस्तुत करने में कोई रूचि नहीं ली गई, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में भूल गई है ।

(3) तहसीलदार द्वारा अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया था, अतः संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र स्वीकार करने का औचित्य नहीं रह जाता है, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(4) संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय को अन्तर्निहित शक्तियॉ प्राप्त हैं और इस धारा के अन्तर्गत रास्ता चालू करन का आदेश नहीं दिया जा सकता है ।

5/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हरदा द्वारा आदेश दिनांक 22–3–13 को पारित किया गया है तथा अनावेदक अस्वस्थ था इस कारण आदेश की जानकारी लेने नहीं आ सका, न उसे किसी प्रकार की सूचना प्राप्त हुई । प्रथम बार दिनांक 30–4–13 को जब अनावेदक स्वस्थ हुआ तब तहसीलदार के न्यायालय में गया तब उसे ज्ञात हुआ कि आदेश 22–3–13 को पारित किया जा चुका है । अतः प्रमाणित

प्रति पाने हेतु आवेदन पेश किया और प्रमाणित प्रति 1–5–13 को प्राप्त हुई तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर समयावधि में अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । आदेश दिनांक से जानकारी दिनांक की अवधि का जो विलम्ब हुआ उसे क्षमा करने के लिये धारा 05 अवधि विधान का आवेदन डाक्टर के पर्चे सहित पेश किया जो सद्भाविक होने से अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया और जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है । साथ ही धारा 32 का आवेदन भी स्वीकार किया व अपील के निराकरण तक पूर्वानुसार रास्ते का उपयोग / उपभोग करता रहेगा, यह आदेश पारित किया, जो सद्भाविक है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी विवाद का निराकरण गुणदोषों पर उभयपक्ष की उपस्थिति में हो, त्रुटियों के आधार पर किसी को विधि का लाभ मिले, यह विधि का सिद्धांत नहीं है । बीमारी के कारण को अनुविभागीय अधिकारी ने सद्भाविक माना है और उभयपक्ष की उपस्थिति में तर्क उपरांत ही अधिवक्तागण के साथ उभयपक्ष उपस्थिति हुये तभी आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है, लेकिन आवेदकगण ने आवश्यक रूप से विधि की मंशा को विफल करने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की है ।

6 / उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 22–3–2013 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 8–5–2013 को मात्र 16 दिन विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब माफ कर अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य कर पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि पर जाने के लिये आवागमन की सुविधा दिलाये जाने का निवेदन किया गया है । अतः सुविधा की दृष्टि से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक द्वारा पूर्वानुसार रास्ते का उपयोग करने के निर्देश देने में भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । आवेदकगण को

चाहिए कि वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करायें । इस न्यायालय में आवेदकगण द्वारा निगरानी प्रस्तुत करना अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील को विलंबित करने का उद्देश्य परिलक्षित होता है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर